वादी अभिलाख सहित एवं शेष की ओर से श्री आर. पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।

> प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री बी.एस.बघेल। प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज प्रतिवादी कमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए.कमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

इसी प्रास्थिति पर वादी अधिवक्ता ने एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हस्तगत वाद में जिस मार्ग के संबंध में अनुतोष चाहा गया था, वह मौके पर बन चुका है, इसलिए अब वह प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते है। इसलिए आवेदन स्वीकार कर प्रकरण इसी प्रास्थिति पर समाप्त किये जाने की कृपा करें।

> आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने। अभिलेख का अवलोकन किया।

सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार वादी किसी भी प्रास्थिति पर उसका वाद वापस लेने के लिए स्वतंत्र है। वादी का आवेदन सारतः वाद वापिसी का आवेदन होना दर्शित होता हैं। विचारोपरान्त वादी का आवेदन स्वीकार किया गया। तद्नुसार वादी का वाद निरस्त किया गया।

व्यय तालिका बनाई जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

।।।, सी.जे.।।, गोहद